रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 1974/आषाढ 1, 1896
No. 157] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 1974/ASADHA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June 1974

G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules to amend the All-India Services (Joint Cadre) Rules, 1972 namely:—

1. (1) These rules may be called the All-India Services (Joint Cadre) Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the All-India Services (Joint Cadre) Rules, 1972,—

(i) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. *Amendment of certain rules.*—(1) The rules shown in Schedule I to these rules shall be amended in the manner indicated therein.

(2) The rules shown in Schedule II to these rules shall, in respect of a Joint Cadre of the Indian Administrative Service in relation to which an agreement has been arrived at under clause (b) of sub-rule (3) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules 1954, for the purpose of dividing the vacancies to be filled by promotion of members of the State Civil Service of any of the

Constituent States and the vacancies to be filled by selection of officers serving in connection with the affairs of the Constituent State, be amended in the manner indicated therein.":

(ii) the Schedule shall be re-numbered as Schedule I thereof and for the brackets, words and figure "(See rule 6)" occurring below Schedule I as so re-numbered, the brackets words and figures [See rule 6(1)] shall be substituted;

(iii) after Schedule I and the entries thereunder, the following shall be inserted, namely:—

SCHEDULE II

[*See* rule 6(2)]

1. *The Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.*—After Rule 11, insert:

"11B. *Authority to exercise certain powers in respect of members of the Service serving in connection with the affairs of the States constituting a Joint Cadre*:—

The powers of the State Government under rule 9, in relation to the members of the Service serving in connection with the affairs of any of the Constituent States shall be exercised by the Government of that State."

2. *The Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955.*—(a) After sub-regulation (2) of regulation 5, insert:

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2), the list referred to in sub-regulation (1) shall be prepared separately in respect of each State Civil Service. The number of members of the State Civil Service included in each such part of the list shall not be more than twice the number of substantive vacancies anticipated in the course of the period of twelve months, commencing from the date of the preparation of the list, in the posts available for them under rule 9 of the Recruitment Rules or 10 per cent of the senior posts shown against item 1 of the Cadre in the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 (hereinafter referred to as the Cadre Schedule) under the Government of Constituent State concerned and the senior posts shown against item 2 of the Cadre Schedule notionally reckoned against that State whichever is greater.

Explanation—the number of senior posts shown against item 2 of the Cadre Schedule of the Joint Cadre divided in the proportion of the number of posts under the Government of each of the Constituent States shown against item 1 of the Cadre Schedule shall be notionally reckoned against each of the Constituent States for the purposes of this sub-regulation."

(b) In regulation 8, insert at the end:

"*Explanation*—Where a Select List is prepared in the case of Joint Cadre under sub-regulation (2A) of regulation 5, the appointment of a member of the State Civil Service whose name appears in the Select List shall be made only to a post under the Government of the Constituent State controlling the State Civil Service to which the member belongs and in making such appointment, the Constituent State concerned shall follow the order in which the names appear in that part of the Select List:

Provided that where administrative exigencies so require, a member of the State Civil Service who is not next in order in that part of the Select List may, subject to the provisions of rule 9 of the Cadre Rules, be appointed to a Cadre post if the State Government is satisfied—

(*i*) that the vacancy is not likely to last for more than three months; or

(*ii*) that there is no suitable Cadre Officer available for filling the vacancy."

(c) In regulation 9 after sub-regulation (1) insert:

"Provided that the appointment of members of the State Civil Service shall be made in accordance with the agreement arrived at under clause (b) of sub-rule (3) of rule 8 of the Recruitment Rules in the order in which the name of the members of the State Civil Service occur in the relevant part of the Select List for the time being in force."

3. *The Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1954.*—(a) In rule 3, in sub-rule (3), in clause (b), at the end of Explanation 4 to the proviso insert:

"Provided also that the certificate shall be given by the Government of the Constituent State and the number of officers in respect of whom the certificate is given shall not exceed one half of the maximum permissible strength of the relevant part of the Select List under sub-regulation (2A) of regulation 5 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and for every senior Select List officer appointed to a non-cadre post in respect of which a certificate is given there should be one junior Select List Officer whose name appears in the same part of the Select List officiating in a senior post under rule 9 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954."

(b) In rule 4, in sub-rule (4), in clause (i), at the end of sub-clause (c) of the proviso insert:

"or, where their names appear in different parts of the Select List for a Joint Cadre, in the order of their dates of birth."

[No. 11/2/72-AIS(I)]

S. P. MUKERJI, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 1974

सा० का० नि० 278(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त काडर) नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त काडर) संशोधन नियम, 1974 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त काडर) नियम, 1972 में,—

(i) नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. **कतिपय नियमों का संशोधन**—(1) इन नियमों की अनुसूची 1 में दर्शित नियम उसमें उपदर्शित रीति में संशोधित किए जाएंगे।

(2) इन नियमों की अनुसूची 2 में दर्शित नियम, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे संयुक्त काडर की बाबत जिसके संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन करार हुआ है, संघटक राज्यों में से किसी राज्य की राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को और उस संघटक राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले अधिकारियों के चयन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को विभाजित करने के प्रयोजन के लिए, उसमें उपदर्शित रीति में संशोधित किए जाएंगे।";

(ii) अनुसूची उसकी अनुसूची 1 के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुनः संख्यांकित अनुसूची के नीचे आने वाले "(नियम 6 देखिए)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "(नियम 6 (1) देखिए)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) अनुसूची 1 और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची 2

[नियम 6 (2) देखिए]

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954.—नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :—

"11 क किसी संयुक्त काडर को गठित करने वाले राज्यों के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले उस सेवा के सदस्यों की बाबत कतिपय शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकार:—संघटक राज्यों में से किसी राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले उस सेवा के सदस्यों से सम्बन्धित नियम 9 के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां, उस राज्य की सरकार द्वारा प्रयोग की जाएंगी।"।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्त) विनियम, 1955.—(क) विनियम 5 के उपविनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :

"(2क) उपविनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सूची प्रत्येक राज्य सिविल सेवा की बाबत अलग-अलग तैयार की जाएगी। उस सूची के ऐसे प्रत्येक भाग में सम्मिलित राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की संख्या, उस सूची के तैयार किए जाने की तारीख से प्रारम्भ होने वाले बारह मास की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के नियम 9 के अधीन उनके लिए उपलभ्य पदों में प्रत्याशित अधिष्ठायी रिक्तियों की संख्या के दुगुने या सम्बद्ध संघटक राज्य की सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में के काडर (जिसे इसमें इसके पश्चात् काडर अनुसूची कहा गया है) की मद 1 के सामने दर्शित ज्येष्ठ पदों के और उस राज्य के सामने काल्पनिक रूप से अंकित काडर अनुसूची की मद 2 के सामने दर्शित ज्येष्ठ पदों के दस प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—काडर अनुसूची की मद 1 के सामने दर्शित संघटक राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार के अधीन पदों की संख्या के अनुपात में विभाजित, संयुक्त काडर की काडर अनुसूची की मद 2 के सामने दर्शित ज्येष्ठ पदों की संख्या इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए संघटक राज्यों में से प्रत्येक राज्य के सामने काल्पनिक रूप से अंकित की जाएगी।"।

(ख) विनियम 8 में, अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :

"स्पष्टीकरण––जहां संयुक्त काडर की दशा में कोई चयन सूची विनियम 5 के उपविनियम (2क) के अधीन तैयार की गई हो, वहां राज्य सिविल सेवा के किसी ऐसे सदस्य की नियुक्ति जिसका नाम चयन सूची में हो, उस राज्य सिविल सेवा का जिसका वह सदस्य है, नियन्त्रण करने वाले संघटक राज्य की सरकार के अधीन के किसी पद पर ही की जाएगी और ऐसी नियुक्ति करते समय, सम्बद्ध संघटक राज्य उस क्रम का अनुसरण करेगा जिसमें कि ऐसे नाम चयन सूची के उस भाग में दिए हुए हैं :

परन्तु जहां प्रशासनिक अभ्यावश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करें, वहां राज्य सिविल सेवा का कोई ऐसा सदस्य जो चयन सूची के उस भाग में के क्रम में उससे ठीक नीचे नहीं है, काडर नियमों के नियम 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी काडर पद पर उस दशा में नियुक्त किया जा सकेगा, जिसमें राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि,––

(i) रिक्ति का तीन मास से अधिक बने रहना सम्भाव्य नहीं है; या

(ii) रिक्ति को भरने के लिए कोई उपयुक्त काडर अधिकारी उपलभ्य नहीं है।"।

(ग) विनियम 9 में, उपविनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :

"परन्तु राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति भर्ती नियमों के नियम 8 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन हुए करार के अनुसार उस क्रम में की जाएगी जिसमें कि राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के नाम तत्समय प्रवृत्त चयन सूची के सुसंगत भाग में दिए हुए हों।"।

3. **भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1954.**– (क) नियम 3 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ख) में, परन्तुक के स्पष्टीकरण 4 के अन्त में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :–

"परन्तु यह और भी कि प्रमाणपत्र संघटक राज्य की सरकार द्वारा दिया जाएगा और ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनकी बाबत प्रमाणपत्र दिया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (2क) के अधीन चयन सूची के सुसंगत भाग की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य-संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी और किसी काडर से बाहर के पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक ऐसे ज्येष्ठ चयन सूची अधिकारी के लिए, जिसकी बाबत प्रमाण-पत्र दिया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन किसी ज्येष्ठ पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला एक ऐसा कनिष्ठ चयन सूची अधिकारी होना चाहिए जिसका नाम चयन सूची के उसी भाग में दिया हुआ हो।"

(ख) नियम 4 में, उपनियम (4) में, खण्ड (i) में, परन्तुक के उपखण्ड (ग) के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :—

"या, जहां उनके नाम किसी संयुक्त कार्डर के लिए चयन सूची के विभिन्न भागों में दिए हुए हों, वहां ज्येष्ठता उनकी जन्म की तारीख के क्रम में होगी।"।

[सं० 11/2/72-अ०भा०से० (1)]

एस० पी० मुकर्जी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974